Dated: 26/05/2024

The Manager,
DELHI PUBLIC SCHOOL PARTAPPUR KASHIPUR U S NAGAR
VILL - GARHI INDERJEET,PO - PARTAPPUR, TEHSIL - KASHIPUR
UTTARAKHAND,UDHAM SINGH NAGAR, 244713
(M: 05947-223057)

$\underline{SUBJECT: -Extension\ of\ General\ Affiliation\ up\ to\ Senior\ Secondary\ Level\ .}$

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	3530371	
School No	81615	
Affiliated for	Extension of General Affiliation	
Category	Extension of Affiliation	
Period of affiliation	01.04.2022 to 31.03.2030	

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

- 1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
- The school shall follow all the provisions of Affiliation Bye-Laws- 2018, Examination Bye-Laws, circulars, guidelines, instructions and other amendments issued from time to time by the Board.
- 3. The School shall possess following valid mandatory documents at all times:
 - a. No Objection Certificate
 - b. Recognition Certificate
 - c. Land Certificate
 - d. Fire Safety Certificate
 - e. Building Safety Certificate
 - f. Certificate of Registration of Society/Trust/Company
 - g. Safe Drinking Water and Sanitary Condition Certificate
- 4. The School shall also ensure the compliances with the Board's Bye-laws in respect of following facilities and infrastructure within 3 months and submit compliance on SARAS portal.
 - 1. Boundary Wall: Concrete boundary wall of not less than 6 ft. height, enclosing the school campus/site. Composite boundary walls which are partly concrete and partly grill/mesh/barbed wire below 6 feet will not be acceptable. If fencing/grill is required, then the same should be over and above 6 feet height.
 - 2. Ramps at the entrance(s) as well as Ramps/lifts for CWSN, to access the upper floors of the school (in case of a multistoried school) (Circular No. CBSE/AFF-05/2023 dated 06.03.2023).
 - 3. Separate toilets for CWSN, boys and girls on every floor (in case of multistoried schools) (Circular No. CBSE/AFF-05/2023 dated 06.03.2023).
 - 4. Appropriate laboratory infrastructure for Secondary School (Composite Science Lab, Mathematics Lab, Computer Lab) and for Senior Secondary School (Composite Science Lab, Mathematics Lab, Computer Lab, Physics Lab, Chemistry Lab, Biology Lab.) (Circular no. CBSE/AFF-11/2022 dated 04.10.2022)
 - 5. Well stocked library with adequate reading area. (Circular no. CBSE/AFF-11/2022 dated 04.10.2022)
 - 6. Well-developed indoor and outdoor sports facilities. (Circular no. CBSE/AFF-11/2022 dated 04.10.2022)
 - 7. Well-developed Digital Infrastructure (Circular No. CBSE/AFF-10/2023 dated 24.03.2023)

Failure to comply within the prescribed time may invite financial penalty @ 50,000/- per month until compliance is submitted and may debar the school from filling the registration and LOC of students' class IX to class XII, as the case may be.

If the compliance is not submitted with in the stipulated 3 months , the Board may enhance the penalty amount and debar the schools from filling up registration/LOC details of students of classes IX to XII, as the case may be, in the next academic session i.e. 2024-25.

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

Note:-

- 1. The School is required to apply online for extension of affiliation before its expiry along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
- 2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
- 3. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.
- 4. The school shall not remove the documents and videography links in the mandatory disclosure section of its website.

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर। ईमेल-cfoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांकः क्रमांक-297 न-3/एफ०एस०/ऑनलाईन/2023

दिनांक जून 07, 2024

स्वामी/प्रबन्धक मैं0 दिल्ली पब्लिक स्कूल गड़ी इन्द्रजीत रामनगर रोड काशीपुर ऊधम सिंह नगर।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापित्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0—34480077 दिनांक 05—06—2024 के अनुसार मैं0 दिल्ली पब्लिक स्कूल गड़ी इन्द्रजीत रामनगर रोड काशीपुर ऊधमसिंहनगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी काशीपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी काशीपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व—घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः मै0 दिल्ली पब्लिक स्कूल गड़ी इन्द्रजीत रामनगर रोड काशीपुर ऊधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबन्धी अनापित प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 07 जून 2024 से 06 जून 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:—

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
- 6 विद्युत स्विच वोर्ड/विद्युत पैनल के आस—पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

त संस्थान में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एमoसीoबीo तथा ईoएलoसीoबीo पर आधारित होगी।

(ईशांत्र क्रांटीरिया) मुख्य अग्निशमन अधिकारी उधमसिंहनगर

SOCIETY REGISTRATION





सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाणे प्रकृत्ल

नवीनीकरण संख्या : RENEW0823007473

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि एस जागीर सिंह ऐजूकेशनल सोसायटी। , Gram-Grahi Inderjeet, PO-Pratappur, Tehsil-Kashipur Udham Singh Nagar Uttarakhand 244713 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : UK0670352023011068 , दिनांक : 14-AUG-2003 को दिनांक : 13-AUG-2028 तक के लिए नवीकृत किया गया है । रु 14400 /- की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है |

दिनांक : 10-007-2023

सोसाइटी-रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड

Uttarakhand

Signature valid

Digitally signed by: Dr Paper, Kumar St ukla Reason :SOCIETY S-Apero al Location: U S Naga, Kray dry Date and Time: 10-18-27-23 10:15:22

और '- कृषया पत्राचार करते सम्म कर्ष । संख्या का उल्लेख अवस्य करें ।

SCHOOL NOC



संख्याः 1029/XXIV-3/13/01(23)/2013

प्रेषक.

पी०एस०जंगपांगी, अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद समुदाय केन्द्र प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 28 जून, 2013

विषय:-

दिल्ली पब्लिक स्कूल, काशीपुर, उधमसिंहनगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन (सी0बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल काशीपुर, उधमसिंहनगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सीठबीठएसठई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डी द्वारा निर्धारित शर्ती/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- (ड) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकंण्ड्री एज्केशनल, नई दिल्ली / कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकंट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (छ) विद्यालय / संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

Bo

ънут 2

- (झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (ट) उक्त शर्ती में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जवाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।
- 3. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।
- 4. संस्था / स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25% सरकार प्रायोजित कमजोर एवं अपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5. संस्था / स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE (Unified District Information System In Education) में संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा
- 6. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों / शर्तों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लें लिया जायेगा।

भवदीय. (पी०एस०जंगपांगी) अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1029/XXIV-3/13/01(23)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर।
- 5 प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
- गार्ड फाइल।

भासा मे

(सुनील श्री पांथरी) उप सचिव



CERTIFICATE

This is to Certify that the Building of Delhi Public School, Kashipur at Gari Inderjeet, P.O. Pratappur, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand) has been Constructed as per drawing and structural norms of Civil Engineering has been followed for construction of said Building. The structure of building is safe from Civil Engineering point of view.

This Certificate is being issued for the purpose of affiliation from the CBSE

Date: 15.05.2024

निर्देशकार अस्ति स्वार्थिक अस्ति स्वार्थिक स्

CERTIFICATE

This is to Certify that Delhi Public School, Kashipur has an R.O. drinking water filter system installed in the School. The drinking water is safe for the use in the school.

The School is maintaining high standards of hygiene and sanitation as required.

Date: 15.05.2024

C.M.S. Hospital

तहसीलदार काशीपुर



महोदय,

प्रार्थना पत्र प्रबन्धक दिल्ली पब्लिक स्कूल काशीपुर ग्राम गढ़ी इन्द्रजीत पर आपके आदेश के क्रम में मौके पर जाकर जांच की जांच आख्या निम्न प्रकार है। दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्राम गढ़ी इन्द्रजीत तह० काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में स्थित है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पानी की व्यवस्था ठीक है तथा स्कूल में आर०ओ० लगा है तथा शौचालय व साफ सफाई की उचित व्यवस्था है।

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

महोदय,

राजस्व उप निरीक्षक की जांच आख्या अग्रसारित।





Department of Elementary Education

Govt. of Uttarakhand

APPENDIX-TWO FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2013

Renewal of Application for Registration under RTE

Email: deobasicusnagar@yahoo.in Phone Number: 05944297948

Fax Number: 05944297948

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Letter No : 5735 02-11-23 Dated : 23-03-2024

To.

The Manager,
DELHI PUBLIC SCHOOL, KASHIPUR, VILL-GARHI INDERJIT, P.O.-PRATAPPUR, DISTT-UDHAM
SINGH NAGAR, UTTARAKHAND

Udham Singh Nagar, Kashipur, KASHIPUR, Pin-Code: 244713

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 23-03-2024 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school DELHI PUBLIC SCHOOL, KASHIPUR, VILL-GARHI INDERJIT, P.O.-PRATAPPUR, DISTT-UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND, Udham Singh Nagar, Kashipur, Pin-Code: 244713. The registration/recognition number of your school is RTE-84576 in District Udham Singh Nagar. This registration/recognition is for the period from 23-03-2024 to 23-03-2029 class Pre- Primary to Class VIII in English medium. if prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future, then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules, 2011.

Your's faithfully, Chief Education Officer District Udham Singh Nagar Uttarakhand

AFFIDAVIT

 Gurdayal Singh S/o Sh. Jagir Singh, Chairman, of S Jagir Singh Educational Society, Village Garhi Inderjeet, P.O. - Partappur, Tehsil - Kashipur, Distt -U.S.Nagar (U.K.) take oath and on solemn affirmation state that;

I- The following is the list of Governing Body members of S Jagir Singh Educational Society, Village Garhi Inderjeet, P.O. - Partappur, Tehsil – Kashipur, Distt – U.S.Nagar (U.K.)

Sr. No.	NAME AND OCCUPATION	ADDRESS		
l-	Gurdayal Singh Saini S/o Sh. Jagir Singh	illage Garhi Inderjeet, P.O Partappur, Tehsil - Kashipur, Distt - U.S.Nagar (U.K.)		
2-	Bhupendra Singh Saini S/o Sh.Satwant Singh Saini	1207, Sector -28 Faridabad		
3-	Harpreet Saini W/o Gurdayal Singh Saini	Village Garhi Inderjeet, P.O Partappur, Tehsil - Kashipur, Distt - U.S.Nagar (U.K.)		
4-	Sanjay Saxena S/o M.P. Saxena	Flat no. 341, sec-1, Pocket-1, Dwarka, Phase 1 Delhi		
5-	Pawan Puri S/o K.M. Puri	Vill: Sakhanpur Peerumadara Teh: Ramnagar Nainital		
6-	Sukhraj Soni S/o Baldev Raj Soni	B-18 Ward 24, Bazpur Road, Kashipur		
7-	Arveen Soni W/o Sukhraj Soni	B-18 Ward 24, Bazpur Road, Kashipur		

The character of the above Society is non-proprietary.

3- The members of the governing body of the above Society are not blood related with each other.

Gudayal Suzl, Sein Signature

Para 01 to 03 of the above mentioned affidavit are true and correct to my personal knowledge and belief, nothing is concealed. So GOD help me.

GOVERNMENT OF UTTARD

Sign Louis Fed Do I. N

GIR AND KHULRE



DELHI PUBLIC SCHOOL KASHIPUR

STUDENTS CREDITED WITH REPUTE

CLASS-XII

S.NO.	YEAR	NAME	PERCENTAGE
1.	2018	MS. SAKSHI SHARMA	97.5%
2. 3. 4. 5. 6.	2019 2020 2021 2021 2022 2023	Mr. VINESH CHAUDHARY Mr. ARNAV BHARDWAJ Mr. ABHIJIT SINGH CHAUHAN MOHD. AQIB Ms. SUGANDHA TIWARI	93.6% 98% 95.6% 96.40% 97%



DELHI PUBLIC SCHOOL KASHIPUR STUDENTS CREDITED WITH REPUTE CLASS-X

NO. YEAR	NAME	PERCENTAGE
1. 2018 2. 2019 3. 2020 4. 2021 5. 2021 6. 2022 7. 2022 8. 2023	Mr. PARTH DHIMAN Mr. MANSHITA AGARWAL Mr. KRISHNA VARDHAN RAWAT MS. MONAAL BISHT Mr. MANVENDRA DUIT KANDPAL Ms. NISHIKA GUPTA Mr. SHRISH MEHROTRA	99% 98.4% 98% 99.6% 98.40% 98.40% 97%